



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस सूचना आपत्ति आवेदन सं०-57/2022-23

मु० मुर्तजा

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 7/10/22

प्रविष्टि बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी वकील को सुना। आवेदन का अवलोकन किया।

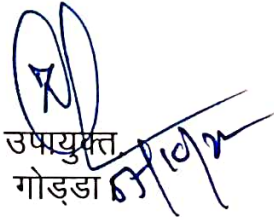
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के सी०डब्लू०जे०सी० नं०-10387, 10389 एवं 10410/1999 के आदेश दिनांक-15.03.2012 के निर्देश के आलोक में स्वत्व वाद सं०-71/2012 दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची ने अनुसूची बी०सी० एवं डी० की भूमि पर यथास्थिति कायम करने के लिए आदेश भी दिया था, फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपने आदेश दिनांक-26.06.2012 के द्वारा आवेदक को उक्त अनुसूची की जमीन से बेदखल कर दिया है। विद्वान सबजज, गोड्डा ने भी आवेदक के दस्तावेज पर विचार किये बिना उनके द्वारा दायर स्वत्व वाद को खारिज कर दिया है। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में डब्लू०पी०(सी०) नं०-6987/2013 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची ने आदेश दिनांक-01.10.2015 के द्वारा सबजज, गोड्डा के आदेश को निरस्त किया गया एवं विद्वान विचारण न्यायालय को आवेदक के आवेदन पर सुनवाई के लिए निर्देश दिया गया। उनका आगे कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची का आदेश यथास्थिति से संबंधित है, फिर भी अनुसूची की जमीन पर निर्माण कार्य किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक सूचना आवेदन दाखिल कर रहे हैं और उन्होंने सूचना आवेदन को संचित करने के लिए अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी वकील का कथन है कि चूँकि आवेदक ने दाखिल आवेदन को संचित करने के लिए अनुरोध किया है। इसलिए इसमें अग्रेतर कार्रवाई करना आवश्यक नहीं है। आवेदक के आवेदन को संचित किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं आवेदक की ओर से दायर आवेदन तथा संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के लिए विचारण न्यायालय में स्वत्व वाद दायर करने के लिए निदेश दिया गया है। चूँकि आवेदक के द्वारा आवेदन को संचित करने के लिए अनुरोध किया है और स्वत्व के संबंध में इस स्तर से विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक का आवेदन संचित किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा


उपायुक्त
गोड्डा।